


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

मुकदमा संख्या :- 60/2024

बाबूलाल बनाम अनिल कुमार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.11.2024	<p>पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील वादी की सुनने एवं मौका कमीशनर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादी द्वारा तकासमा नही करवान हेतु लिखा गया है एवं प्रतिवादी का खर्चा वादी वहन करेगे। अतः मौका कमीशनर की रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	